न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

संख्या : 16/251

1. महेश प्रकाश आत्मज श्री नाथूराम शर्मा आयु 66 वर्ष जाति ब्राह्मण निवासी बाहरली बून्दी (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   1/1. राजेन्द्र पुत्र महेश प्रकाश आयु 43 वर्ष भारद्वाज निवासी बून्दी ।
   1/2. नरेन्द्र पुत्र महेश आयु 40 वर्ष भारद्वाज निवासी बून्दी ।
   1/3. श्रीमती सुमन शर्मा पुत्री महेश प्रकाश पत्नी राकेशपाल हाल निवासी लखनउ।
   1/4. श्रीमती सुनीता पुत्री महेश प्रकाश पत्नी दिनेश भाटिया निवासी बून्दी ।
   1/5. सुनील भारद्वाज पुत्र महेश प्रकाश (मृतक) कायममुकामान :–
   1/5/1. श्रीमती शोभारानी वयस्क पत्नी सुनील हाल निवासी बून्दी ।
   1/5/2. सुश्री सोनम पुत्री सुनील वयस्क निवासी बून्दी ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, बून्दी ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री सुरेन्द्र नारानीवाल, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांक: 10.10.2017

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बून्दी जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.03.2016 विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलान्ट मृतक महेश प्रकाश ने अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद इन्द्राज दुरूस्ती एवं अधिकार घोषणा का प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम देवपुरा तहसील बून्दी में पुराने बन्दोबस्ती खसरा नम्बरान के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 796/11 की 08 बीघा 14 बिस्वा भूमि माधोलाल वलद मोतीसिंह ने क्रय की थी जिस पर दिनांक 13.061964 को दखल दे दिया था और क्रेता को दिनांक 01.02.1976 को खातेदारी अधिकार प्रदत्त कर दिये थे । भू–प्रबन्ध विभाग ने पुराने खसरा नम्बर के दो नवीन खसरा नम्बर कायम कर दिये जिसमें 02 बीघा 03 बिस्वा भूमि का कोई खसरा नम्बर कायम नहीं किया गया जिससे वादी के अधिकारों पर हमेशा साया बना रहता है ।

प्रमाणित फोटो प्रतिलिपि

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा

वादग्रस्त आराजी में से भू–प्रबन्ध के दौरान बची 02 बीघा 03 बिस्वा का नया खसरा नम्बर कर वादी के कब्जे अनुसार नक्शे में तरमीम करने का आदेश पारित किया जावे ।

अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.03.2016 के द्वारा वादी का वाद खारिज कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.03.2016 से व्यथित होकर वादी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री निरस्त करने का निवेदन किया ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं आने से अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अपीलान्ट ने तत्कालीन खातेदाारर माधोलाल वल्द मोतीसिंह से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनां 30.11.1976 को क्रय कर कब्जा प्राप्त किया था । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तरकरण संख्या 54 दिनांक 13.02.1976 प्रदर्श– 3 पर अंकित नोटा पर भूमि सडक में जाने को एक मात्र निर्णय का आधार बनाया गया है जो सर्वथा तथ्यों व कानून के विपरीत है जबकि सार्वजनिक निर्माण विभाग की उद्घोषणा दिनांक 19.03.1993 में ही भूमि आराजी खसरा नम्बर 64 में केवल 03 बिस्वा भूमि व खसरा नम्बर 43 में एक बीघा 04 बिस्वा भूमि रोड में जाना अंकित किया है । इस दस्तावेज की अनदेखी कर महज नामान्तरकरण को एक मात्र आधार मान कर अधीनस्थ न्यायालय ने सही मौके की स्थिति को नहीं समझ कर उक्त निर्णय पारित करने में त्रुटि की है । नामान्तरकरण एक फिकसल कार्यवाही होती है उससे पक्षकारों के अधिकारों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पडता है यह कानून का सर्वमान्य सिद्धान्त है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एंव डिक्री पारित की गई है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री निरस्त फरमाया जावे ।

8. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं अपीलान्टके लायक अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस पर मनन किया । पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन करने पर साबित है कि माधोलाल के पक्ष में खातेदारी का नामान्तरकरण संख्या 54 खोला गया था उसमें भी उसके खाते 06 बीघा 11 बिस्वा भूमि ही दर्ज की गई है । ऐसी स्थिति में जितनी भूमि वादी ने क्रय की उतनी ही भूमि माधोलाल के खातेदारी में दर्ज की गई है । उसके अनुरूप ही वादग्रस्त आराजी नामान्तरकरण संख्या 87 दिनांक 02.01.1977 खोला गया है । प्रस्तुत प्रकरण में वादी अपीलान्ट ने अपने कथनों को साबित नहीं किया है ।

प्रमाणित फोटो प्रतिलिपि

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा

नस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री का अवलोकन किया । अधीनस्थ
द्वारा जो निर्णय पारित किया है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि किया जाना प्रतीत
ता है । हम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री से सहमत हैं और उसमें
ो प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायहित में उचित नहीं समझते हैं ।

10. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.03.2016 बहाल रखा जाता है ।

11. निर्णय आज दिनांक 10.10.2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

प्रमाणित फोटो प्रतिलिपि

राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा